THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) Yes, Sir.

(b) As the case is *sub-judice* in the Court of Metropolitan Magistrate, Delhi Cantt., it is not possible to say anything in this regard, at this stage.

(c) The checking staff of the Corporation has been alerted.

Projects undertaken by Cement Research Institute

4812. DR. BALDEV PRAKASH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the projects undertaken by the Cement Research Institute since its foundation in 1966;

(b) the results of the projects undertaken and the costs thereof; and

(c) whether any assessment of the work done by the C.R.I. has been done by Government if so, the report of it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Delay in Uranium shipment to India

4813. SHRI A. K. ROY:
SHRI G. M. BANATWALLA:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item in the Statesman, February 78 "Uranium Shipment to India may be further delayed" and the editorial in the Times of India, 3rd March, 1978 "Answer to U. S. bullying"; and

(b) if so, what government contemplates to face the situation and save the Tarapur Atomic Power Plant?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The position has been fully explained in the debate on 23rd March, 1978 on a calling attention notice on this subject.

विदेशों को निर्यात की गई भारतीय फिल्मों की संख्या

4814. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 तथा वर्ष 1977–78 में किन किन देशों को भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया ;

(ख) उसके परिणामस्वरुप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ग) क्या विदेशों को निर्यात की जाने वाली फिल्मों का स्तर सुधारने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाई की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान भारतीय फिल्में जिन देशों को निर्यात की गई उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ;

(ग) फिल्मोत्सव–1978 के दौरान भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा आयोजित फिल्म बाजार में जिन विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उन्होंने भारतीय फिल्मों की लम्बाई, कथोपकथन, नृत्य तथा गीत क्रम को कम करने पर बल दिया था ताकि मुख्य कथानक लम्बे व्यवसायों के कारण स्वीकार न हो । उनके अनुसार इससे भारतीय

फिल्में एशियन एथेनिक सैटलर्स को छोड़कर विदेशी दर्शकों को अधिक पसन्द आयेंगी ।

(घ) विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से फिल्म निर्माताओं/निर्यातकों के संगठनों को सूचित किया जा रहा है। सरकार इस सम्बन्ध में और कोई कार्यवाई करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हमारे देश में फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में है ।

विवरण

1976–77 और 1977–78 के दौरान जिन देशों को भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया उनके नाम दर्शाने वाला विवरण ।

(1) 1976–77 के दौरान जिन देशों को भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया उनके नाम अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीनद्वीप, दुबई, कुवैत, ओमन, कतार, सऊदी अरब, अबु धावी, बारबाडोल, गयाना, सुरीनाम, त्रिनीदाद, एफ० आर० वैस्ट इन्डीज, मलेयेशिया, सिंगापुर, बोत्स्वाना, जिब्राल्टर, लीबिया, सनेगल, मोरक्कों, जोर्डन, लेबनान जाम्बिया, धाना, लाईदेरिया, नाइजीरिया सियरा लियोंन, इथोपिया, केन्या, मलावी, तंजानिया, जर्मन जनवादी गणराज्य, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मन, वोलिविया, कोलम्बिया, पेरु मारिशस, हांगकांग, बेलजियम, बर्मा, कैमरुन, कनाडा, अमरीका, श्रीलंका, चेकोस्लोवाकिया, फिजी द्वीप फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इज्राइल, इटली, कोरिया गणतंत्र, मलादीव द्वीपसमूह, नेपाल, नीदरलैंड, नोलैंड, पुर्तगाल, रुमानिया, दक्षिण यमन, लोक तांत्रिक गणराज्य, सेशन्स, स्पेन, सुडान स्वाजीलैण्ड, स्विटजरलैंड, थाईलैंड, अरब गणतंत्र मिश्र, वर्तानिया, सोवियत संघ, यमन अरब गणतंत्र, यगोस्लाविया ।

(2) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा 1977–78 के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात के लिए जिन देशों के लिए शिपिंग बिल पास किये गये उनके नाम अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरिन द्वीप, दुबई, कुवैत, ओमन, कतार, सऊदी अरब, अबु धावी, बारबाडोस, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनीदाद, एफ० आर० वैस्ट इंडीज, मलेयेशिया, सिंगापुर, बोस्त्वाना, जिब्राल्टर, लीबिया, सेनेगल, मोराक्को, जोडन, लेबनान, जाम्बिया, धाना, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सियरालियोन, इथोपिया, केन्या, मलावी, तंजानिया, जर्मन जनवादी गणतंत्र, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मन, वोलिविया, कोलिम्बया, पेरु, मारिशस, हांगकांग, फिलीपीन, मनीला, बैलजियम, बर्मा, कनाडा, अमरीका, श्रीलंका, चैकोस्लोवाकिया, फिजी द्वीप, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इस्रायल, मालदीप द्वीपसमूह, पुतगाल, रुमानिया, सेशैल्स, सुडान, स्विटरजलैंड, थाईलैंड, इंडोचीन, अरब गणतंत्र मिश्र, बर्तानिया, आयरलैंदड, सोवियत संघ, यमन अरब गणतंत्र, यगोस्लाविया, बुलगारिया, हालैंड, हंगरी, जापान, तैवान ।

सार्वजनिक जीवन में खर्च में मितव्ययता करना

4515. **श्री रामानन्द तिवारी :**
श्री शरद यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक जीवन में मितव्ययता करके और आडम्बरपूर्ण खर्च रोक कर सादगी का वातावरण बनाने के सरकार के वचन को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) बड़े होटलों आदि में समारोहों और उद्घाटनों पर किये जाने वाले खर्च पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?